संलग्नक-02 2012

पत्रांक सं० 354 (वन भूमि)

दिनांक 24/11/15

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जैती-पीपली मोटरमार्ग से सिल्टा-चापड़ तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली कुल-4.7862 हैक्टयर वन भूमि के सापेक्ष दुगुने क्षेत्रफल अर्थात-9.5724 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) अल्मोड़ा के पत्रांक-1327/3-सी. (वनभूमि) दिनांक: 06-11-2015 के द्वारा प्रेषित एवं तहसीलदार, जैती के द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी आख्या सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों :-परियोजना का नाम संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, प्रस्तावित ग्राम की खतौनी मे नकल, प्रारूप-2, एवं प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा के आधार पर ग्राम **ग्राम-सिल्टाचापड़, पटवारी क्षेत्र-बकस्वाड़ तहसील-जैती** के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-52 की श्रैणी-09 (3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 3485 रक्वा-1.291 है0, तथा खेत नम्बर-3503 का रक्वा-1.083 है0, खेत नम्बर-3545 रक्वा-0.515 है0, पैमायसी खेत न0 3547 रक्वा-0.391 है0, पैमायसी खेत न0 3549 रक्वा-0.498 है0, पैमायसी खेत न0 3713 रक्वा-0.940 है0, पैमायसी खेत न0 3800 रक्वा-0.526 है0, पैमायसी खेत न0 4754 रक्वा-1.400 है0, पैमायसी खेत न0 5056 रक्वा-1.023 है0, पैमायसी खेत न0 5759 रक्वा-1.415 है0 एवं पैमायसी खेत न0 5800 मध्ये-0.4904 है0, इस प्रकार <u>कुल-9.5724 हैक्टयर</u> सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ0 तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
सि० ख० (प्र० मं० ग्रा० स० यो०)
अल्मोड़ा

ह0/-
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

अमीन
कृ0 अग्रिम आवश्यक
कार्यवाही करें।
20.11.15
E.E.

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 1125/ग्यारह-10/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर, 2015

<u>प्रतिलिपि-निम्नांकितो को सूचनार्थ प्रेषित :-</u>

1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) अल्मोड़ा ।

3- उप जिलाधिकारी, जैती, जनपद-अल्मोड़ा ।

4- तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिला अधिकारी, अल्मोड़ा